न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **215/2017** दायर दिनाँक **26.07.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. लाल मोहम्मद पुत्र मनवरदीन उर्फ मनोहरखाँ, उम्र—62साल, जाति—शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अजीजखाँ पुत्र सदीकखाँ, 2. मेहमूदखाँ पुत्र सदीकखाँ, 3. जलालखाँ पुत्र सदीकखाँ, 4. जायदा पत्नी स्वर्गीय अलाबक्ष, उम्र—75साल, 5. खलील पुत्र स्वर्गीय अलाबक्ष, उम्र—53साल, 6. मोहम्मद बक्ष पुत्र स्वर्गीय अलाबक्ष, उम्र—48साल, 7. लाल मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय अलाबक्ष, उम्र—44साल, 8. लुकमान पुत्र स्वर्गीय अलाबक्ष, उम्र—37साल, 9. ऐमना पुत्री स्वर्गीय अलाबक्ष, उम्र—58साल, 10. रहमत पुत्री स्वर्गीय अलाबक्ष, उम्र—40साल, 11. दीन मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय इब्राहिमखाँ, 12. बाना पुत्री स्वर्गीय इब्राहिमखाँ, 13. मोहीदीनखाँ पुत्र जबरूदीन, 14. लियाकतअली पुत्र स्वर्गीय कासमदीन, उम्र—38साल, 15. हासमअली पुत्र स्वर्गीय कासमदीन, उम्र—30साल, 16. अख्तावररजा पुत्र स्वर्गीय कासमदीन, उम्र—20साल, 17. जैबा पुत्री स्वर्गीय कासमदीन, उम्र—40साल, 18. गुलशन पुत्री स्वर्गीय कासमदीन, उम्र—36साल, 19. मेहमूदा पुत्री स्वर्गीय कासमदीन, उम्र—36साल, 20. सबीना पुत्री स्वर्गीय कासमदीन, उम्र—28साल, 21. अमीना पुत्री स्वर्गीय कासमदीन, उम्र—24साल, 22. मोहम्मद अली पुत्र हनीफखाँ, 23. गन्नी पुत्र हनीफखाँ, 24. अलादीन पुत्र हनीफखाँ, 25. खलील अहमद पुत्र मनवरदीन

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

		उर्फ मनोहरखाँ, **26.** फातमा पुत्र मनवरदीन उर्फ मनोहरखाँ, समस्त,जाति—शेरानी, निवासी—शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, **27.** उपपंजीयक, खाटूखुर्द, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, **28.** तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. पक्षकारान्।

—:: <u>निर्णय</u> ::—

दिनाँक **24.06.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद मौजा शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 454 रकबा 13.04 बीघा भूमि अवस्थित है जो कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 26 के संयुक्त खातेदारी में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 454 रकबा 13.04 बीघा भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 25 व 26 के हक में घोषित की जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 का नाम हटाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 28 को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ—पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2070—2073 खेवट संख्या 04/06 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प—शेरानीआबाद में पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी प्रकरण में उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी दावा डिक्री किया

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

जाने का निवेदन कर रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 28 के बावजूद तामिलगी के हाजिर नहीं है इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना लाजमी है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी की सारगर्भित बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अवलोकन किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। मजमें आम में वाद के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वाद वादी जायज है अतएव शरहद शेरानीआबाद के खसरा नम्बर 454 रकबा 13.04 बीघा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 25 व 26 के हक में खातेदारी घोषित किया जाना, अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, दावानुसार, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा शेरानीआबाद, पटवारहल्का–शेरानी आबाद, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–खाटूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, में खेवट संख्या 04/05 खसरा नम्बर 454 रकबा 13.04 बीघा का बन्टवारा, "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदार के पर, इस सम्पूर्ण रकबा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 25 व 26 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष वर्तमान में दर्ज समस्त खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 24, 27 व 28 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 25 व 26 के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–शेरानीआबाद

निर्णय आज दिनाँक **24.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–शेरानीआबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 215/2017 दायर दिनाँक 26.07.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. लाल मोहम्मद पुत्र मनवरदीन उर्फ मनोहरखाँ, उम्र–62साल, जाति–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अजीजखाँ पुत्र सदीकखाँ, 2. मेहमूदखाँ पुत्र सदीकखाँ, 3. जलालखाँ पुत्र सदीकखाँ, 4. जायदा पत्नी स्वर्गीय अलाबक्ष, उम्र–75साल, 5. खलील पुत्र स्वर्गीय अलाबक्ष, उम्र–53साल, 6. मोहम्मद बक्ष पुत्र स्वर्गीय अलाबक्ष, उम्र–48साल, 7. लाल मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय अलाबक्ष, उम्र–44साल, 8. लुकमान पुत्र स्वर्गीय अलाबक्ष, उम्र–37साल, 9. ऐमना पुत्री स्वर्गीय अलाबक्ष, उम्र–58साल, 10. रहमत पुत्री स्वर्गीय अलाबक्ष, उम्र–40साल, 11. दीन मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय इब्राहिमखाँ, 12. बाना पुत्री स्वर्गीय इब्राहिमखाँ, 13. मोहीदीनखाँ पुत्र जबरूदीन, 14. लियाकतअली पुत्र स्वर्गीय कासमदीन, उम्र–38साल, 15. हासमअली पुत्र स्वर्गीय कासमदीन, उम्र–30साल, 16. अख्तारराजा पुत्र स्वर्गीय कासमदीन, उम्र–20साल, 17. जैबा पुत्री स्वर्गीय कासमदीन, उम्र–40साल, 18. गुलशन पुत्री स्वर्गीय कासमदीन, उम्र–36साल, 19. मेहमूदा पुत्री स्वर्गीय कासमदीन, उम्र–36साल, 20. सबीना पुत्री स्वर्गीय कासमदीन, उम्र–28साल, 21. अमीना पुत्री स्वर्गीय कासमदीन, उम्र–24साल, 22. मोहम्मद अली पुत्र हनीफखाँ, 23. गन्नी पुत्र हनीफखाँ, 24. अलादीन पुत्र हनीफखाँ, 25. खलील अहमद पुत्र मनवरदीन

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		उर्फ मनोहरखाँ, **26.** फातमा पुत्र मनवरदीन उर्फ मनोहरखाँ, समस्त, जाति–शेरानी, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **27.** उपपंजीयक, खाटूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **28.** तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दिनाँक **24.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा शेरानीआबाद, पटवारहल्का–शेरानी आबाद, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–खाटूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, में खेवट संख्या 04/05 खसरा नम्बर 454 रकबा 13.04 बीघा का बन्टवारा, "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदार के पर, इस सम्पूर्ण रकबा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 25 व 26 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष वर्तमान में दर्ज समस्त खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 24, 27 व 28 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 25 व 26 के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **24.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प (शेरानी) आबाद

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट कैम्प–शेरानीआबाद

Scanned by CamScanner